07/6/17 पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु पेश हुई। प्रतिवादी तहसीलदार [illegible] जवाब

के समक्ष पेश हुई। प्रतिवादी तहसीलदार [illegible] के जवाब

दावा प्रस्तुत कर वादी की खसरा 281/[illegible] रकबा [illegible] बीघा है कि

ग्राम [illegible] की पैमाइश करने में सहमति प्रकट की है।

अतः वादी का [illegible] प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है/ निर्णय

अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

राजस्व लोक अदालत : न्याय आपके द्वार – 2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा, केम्प कोर्ट – हलेड

पीठासीन अधिकारी– राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 63/2017

1. पुष्पा देवी पत्नी प्रहलाद राय हींगड, निवासी भीलवाडा।

—प्रार्थिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

—विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राज.अधि., 1956

निर्णय

दिनांक 07.06.2017

प्रार्थिया के अधिवक्ता की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू–राज. अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय मे दिनांक 15.03.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम अगरपुरा पटवार हल्का हलेड, भू–अभिलेख क्षैत्र सुवाणा, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित प्रार्थिया की आराजी संख्या 281/1 रकबा 4–05 बीघा कुल किता 01 कुल रकबा 4–05 बीघा भूमि स्थित है। उक्त आराजी के विपक्षी पड़ौसी है। प्रार्थिया एंव विपक्षी के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। प्रार्थिया अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें ।

प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थिया के अधिवक्ता उपस्थित, बहस सुनी गई। विपक्षी उपस्थित विपक्षी ने पत्थरगढी करने में सहमति प्रकट की है। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से निःसंदेह है कि प्रार्थिया स्वंय के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है, वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिलेख मे किसी प्रकार से परिवर्तन होने का अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किए जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसंर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थिया स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम अगरपुरा पटवार हल्का हलेड, भू–अभिलेख क्षैत्र सुवाणा, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित प्रार्थिया की आराजी संख्या 281/1 रकबा 4–05 बीघा कुल किता 01 कुल रकबा 4–05 बीघा भूमि जो कि जितनी तहसीलदार भीलवाडा के क्षैत्राधिकार में आती है कि पत्थरगढी उक्त आराजी में फसल कट जाने के पश्चात 15 दिवस में इस कार्य के लिये तहसील भीलवाडा में 500/– अक्षरे पॉच सौ रूपये बतौर खर्चा सरकारी मद में राजकोष मे जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/– रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार भीलवाडा विधिवत पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट भिजावे।

आदेश आज दिनांक 07.06.2017 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा

पदेन सहायक ... भीलवाड़ा